



सरकार हरियाणा

कार्यालय

# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, पाकुड़

(सेवा गारंटी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण कोषांग)

झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत सेवा देने के लिए निर्धारित अवधि, नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी एवं तत्संबंधी अपील हेतु आम जानकारी


क्र०सं 0	प्रदायी सेवाओं का नाम	नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी	नियत समय सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं उनके निष्पादन हेतु नियत समय सीमा		द्वितीय अपील प्राधिकारी एवं उनके निष्पादन हेतु नियत समय सीमा	
1	विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति से संबंधित आवेदनों का निष्पादन	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	21 दिन	अनुमंडल पदाधिकारी	15 दिन	उपायुक्त	15 दिन
		अनुमंडल पदाधिकारी	21 दिन	जिला पदाधिकारी	15 दिन	प्रमंडलीय आयुक्त	15 दिन
2	विद्यालय/महाविद्यालय / तकनीकी शिक्षण संस्थान से छात्रवृत्ति के लिए आवेदनों की स्वीकृति	प्रधानाचार्य/ प्राचार्य/ संस्थान प्रमुख	संस्थान में प्रवेश/ आवंटन प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर	प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/ अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी	15 दिन	उपायुक्त	15 दिन
3	जाति प्रमाण-पत्र/ आय प्रमाण-पत्र/ आवासीय प्रमाण-पत्र निर्गत करना	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी	(क) कर्मचारियों के अनुशंसा के साथ आवेदन पर 15 दिन (ख) सीधे प्राप्त आवेदन पर 30 दिन	अनुमंडल पदाधिकारी	15 दिन	उपायुक्त	15 दिन
4	जन वितरण प्रणाली दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत करना	अनुमंडल पदाधिकारी/ सक्षम पदाधिकारी	30 दिन	उपायुक्त	21 दिन	प्रमंडलीय उपायुक्त	15 दिन
5	नये राशन कार्ड के आवेदन पर निर्णय	अनुमंडल पदाधिकारी/ सक्षम पदाधिकारी	60 दिन	उपायुक्त	21 दिन	प्रमंडलीय उपायुक्त	15 दिन
6	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर (नियोजन) अधिनियम के तहत प्रमाण-पत्र	उपायुक्त	30 दिन	प्रमंडलीय आयुक्त	15 दिन	प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	15 दिन
7	शहरी क्षेत्र में होल्डिंग निर्धारण हेतु आवेदन पर निर्णय	नगर निकाय के प्राधिकृत कार्यपालक पदाधिकारी	45 दिन	नगर परिषद/ नगर पंचायत क्षेत्र में -उप विकास आयुक्त	15 दिन	उपायुक्त	15 दिन
8	बिद्युत बोर्ड संबंधी मामले	नया एल0 टी0 कनेक्शन के लिए कार्यपालक अभियंता	30 दिन	अधिक्षण अभियंता	15 दिन	महा प्रबंधक	15 दिन

		गलत विपत्र में सुधार/सामान्य फ्यूज मरम्मत लाइन/केबल बैकडाउन के लिए सहायक अभियंता राजस्व आपूर्ति	4 घंटा से 7 दिन (अलग-अलग कार्य के लिए अलग-अलग)	कार्यपालक अभियंता	15 दिन	अधिक्षण अभियंता	15 दिन
9	परिवहन विभाग से संबंधित मामले	जिला परिवहन पदाधिकारी	3 दिन से 45 दिन (अलग-अलग कार्य के लिए अलग-अलग)	सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार	3 दिन से 15 दिन (अलग-अलग कार्य के लिए अलग-अलग)	प्रमण्डलीय आयुक्त	3 दिन से 15 दिन (अलग-अलग कार्य के लिए अलग-अलग)
10	दवा दुकान की अनुज्ञप्ति	अनुज्ञप्ति पदाधिकारी	30	सिविल सर्जन	15 दिन	औषधि नियंत्रक	15 दिन
11	पोस्टमार्टम रिपोर्ट निर्गत करना	प्रभारी डॉक्टर	3 दिन	डिप्टी सुपरीटेंडेंट	15 दिन	सिविल सर्जन	15 दिन
12	पासपोर्ट निर्गत करने/शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने/सेवा में नियुक्ति/चरित्र प्रमाण-पत्र हेतु पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन	थाना प्रभारी	7 दिन	अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी	3 दिन	पुलिस अधीक्षक	3 दिन
13	दाखिल खारिज नियमित अर्द्ध न्यायिक न्यायालय में दाखिल खारिज वाद का निष्पादन	अंचल अधिकारी	आपत्ति रहित वाद 18 दिन/आपत्ति सहित 45 दिन/संशोधित पर्वों का निर्गमन 3 दिन				
14	भूमिधारण प्रमाण-पत्र (L.P.C)	अंचल अधिकारी	10 दिन				
15	खाद्य/बीज/कीटनाशी की खुदरा दुकान की अनुज्ञप्ति	जिला कृषि पदाधिकारी/सक्षम पदाधिकारी	30 दिन	संयुक्त निदेशक, कृषि/जिला कृषि पदाधिकारी	15 दिन	संयुक्त निदेशक, कृषि/प्रमण्डलीय आयुक्त	15 दिन

अधिसूचना संख्या-7025 दिनांक 15.11.2011


विशेष जानकारी हेतु संबंधित कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

जापान, 30/सितंबर, पाकुड़, दिनांक - 25-1-2012

  
उपायुक्त  
पाकुड़।

प्रतिलिपि :- जिला युवा विज्ञान पदाधिकारी, पाकुड़-

को पाकुड़ के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सहायक निदेशक  
सामाजिक सुरक्षा कोषांग  
पाकुड़।